

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 जुलाई 2023—आषाढ़ 14, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2023

क्र. F-CT-11-2-0001-2023-Sec-2-पांच (22).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 (घ) (एक) के अंतर्गत निष्पादित, पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीकृत, सम्यक रूप से स्टाम्पित विकास अनुबंध के अनुसरण में उस विकसित संपत्ति, जिसे पृथकतः विक्रय करने के लिये विकासकर्ता, उक्त विकास अनुबंध अनुसार अधिकृत है, के विक्रय का अधिकार देने वाले मुख्यारनामा पर अनुच्छेद 50 (घ) (दो) अंतर्गत देय शुल्क कम करते हुए केवल रु. एक हजार नियत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2023

क्र. F-CT-11-2-0001-2023-Sec-2-पांच (22).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. F-CT-11-2-0001-2023-Sec-2-पांच (22), दिनांक 5 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 5th July 2023

No. F-CT-11-2-0001-2023-Sec-2-V-(22).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, reduces the stamp duty chargeable under artical (50) (d) (ii) and fixes it at Rs. One Thousand only, on the instruments of Power of Attorney executed, giving right to developer to sell severally, the property developed in pursuance of a Development Agreement under Article 6 (d) (i) of Schedule 1-A, and duly stamped and registered under the Registration Act, 1908.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.